रिबस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012020-215777 CG-DL-E-29012020-215777

> असाधारण EXTRAORDINARY

> > भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2020/माघ 8, 1941 No. 40] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2020/MAGHA 8, 1941

## राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2020

फा. सं. राअशिप-सीडीएन012/3/2019-यूएस(सीडीएन)-मुख्यालय(ई).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 20 के उपखण्ड (7) के साथ पठित खण्ड 32 के उपखण्ड (2) की धारा (ओ) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय सितियों की स्थापना, स्थान तथा क्षेत्रीय अधिकार-क्षेत्र) विनियम 2017 का उन्मूलन करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जो इस प्रकार के उन्मूलन से पूर्व कर लिए गए थे अथवा किए जाने से छूट गए थे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है, यथा :--

- 1. **संक्षिप्त शीर्ष और प्रारम्भ.—(**1) इन विनियमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (क्षेत्रीय समितियों का क्षेत्रीय अधिकार—क्षेत्र) विनियम, 2020 कहा जाएगा।
  - (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, 1993 के खण्ड 20 के उपखण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन स्थापित क्षेत्रीय समितियों का क्षेत्रीय अधिकार—क्षेत्र निम्नानुसार होगा :—

क्र.स	क्षेत्रीय समिति का नाम	क्षेत्रीय अधिकार–क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.		अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल

541 GI/2020 (1)

2.	पश्चिमी क्षेत्रीय समिति	छत्तीसगढ़, गोआ, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव
3.	उत्तरी क्षेत्रीय समिति	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, चण्डीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख
4.	दक्षिण क्षेत्रीय समिति	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलांगना, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी

संजय अवस्थी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन–III/4/असा./426/19]

## NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2020

**F. No. NCTE-CDN012/3/2019-US(CDN)-HQ(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of section 32 read with sub-section (7) of section 20 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), and in suppression of the National Council for Teacher Education (Establishment, Location and Territorial Jurisdiction of the Regional Committees) Regulations, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the National Council for Teacher Education hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. **Short title and commencement.—**(1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Regional Committees Territorial Jurisdiction), Regulations, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. The territorial jurisdiction of the Regional Committees established under the provisions of sub-section (1) of section 20 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 shall be as under.-

Sl. No.	Name of the Regional Committee	Territorial Jurisdiction
(1)	(2)	(3)
1.	Eastern Regional Committee	Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tripura and West Bengal.
2.	Western Regional Committee	Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Dadar and Nagar Haveli and Daman and Diu.
3.	Northern Regional Committee	Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Uttrakhand, Chandigarh, Delhi, Jammu and Kashmir and Ladakh
4.	Southern Regional Committee	Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and Puducherry

SANJAY AWASTHI, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./426/19]